



2026:AHC:65626

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 5450 वर्ष 2026

पंकज कुमार @ पंकज आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: आत्माराम नदीवाल, शिप्रा नदीवाल, सुमित वर्मा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 69

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. श्री आत्माराम नदीवाल, आवेदक के अधिवक्ता श्री सुमित वर्मा और राज्य-प्रतिपक्षियों के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. मौर्य को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक की ओर से दायर किया गया है, जिसमें उसे केस अपराध संख्या-362 वर्ष 2025 में बी.एन.एस. की धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 131, 109(1) और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25/27 के तहत ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, जो मुकदमे के लंबित रहने के दौरान थाना नकुर, जिला सहारनपुर में दर्ज है।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और गुप्त उद्देश्य के कारण उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि सह-आरोपी प्रद्युम्न पवार उर्फ प्रदुमन को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-43047 वर्ष 2025 में पारित दिनांक 28.01.2026 के आदेश के माध्यम से पहले ही ज़मानत दे दी गई है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का सात मामलों का आपराधिक इतिहास है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसे आवेदन ज़ापन में समझाया गया है और वह सभी सात मामलों में ज़मानत पर है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक 11.09.2026 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, तो वह प्रदान किया गया है। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के मद्देनजर, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष निकलने की कोई संभावना नहीं है।

4. ततस्य विपरीत अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की ज़मानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है।

5. आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। सह-आरोपी प्रद्युम्न पवार उर्फ प्रदुमन को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-43047 वर्ष 2025 में पारित दिनांक 28.01.2026 के आदेश द्वारा पहले ही ज़मानत दे दी गई है। प्राथमिकी रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों ने पहले सूचनाकर्ता पक्ष पर लोहे की छड़ से हमला किया था और उन्होंने गोली भी चला दी थी, जिसके परिणामस्वरूप, प्रथम सूचनाकर्ता पक्ष के दो व्यक्तियों, अर्थात् गौरव और सुमित के पैरों में बन्दूक की चोटें आई हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि घायल गौरव और सुमित ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया है, हालांकि, धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किए गए अपने बाद के बयान में, उन्होंने आवेदक सहित सभी आरोपी व्यक्तियों पर हमले की भूमिका सौंपी है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का सात मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे आवेदन ज़ापन में समझाया गया है और वह सभी सात मामलों में ज़मानत पर है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक 11.09.2026 से जेल में बंद है।

6. तथ्यों, प्रकृति और अभिलेखों से परिलक्षित साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने पर और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह ज़मानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, प्रस्तुत ज़मानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।



7. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदक- पंकज कुमार @ पंकज को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो जमानतदार के साथ 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा: -

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा कि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक (i) मामले को खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- (v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मार्च 30, 2026

आरकेएम

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।